



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052025-263152
CG-DL-E-16052025-263152

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2142]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 2025/वैशाख 25, 1947

No. 2142]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 15, 2025/VAISAKHA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2025

का.आ. 2192(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O.720(E) तारीख 11/02/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के रियासी जिले में एनएच-1C (नया एनएच-144) पर कि.मी. 24 से कि.मी. 41 तक की चयनित पहुंच में रिटेनिंग वॉल, बी/दीवारें, छोटे पुल, साइनेज, क्रैश बैरियर और ढलान सुरक्षा प्रदान करने के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "20.02.2025" को "दैनिक एक्सेलसियर" और "दैनिक सवेरा टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के रियासी जिले में एनएच-1C (नया एनएच-144) के कि.मी. 24 से कि.मी.41 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: रियासी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कटरा					
गांव का नाम: कोटली मनोत्रियन					
1	1243 मिन	निजी (निजी)	गैर-कृषि (बीक्यू)	0.0131501	मालिक:- हेम राज गोद लिया पुत्र इन्द्र ¼ हिस्सा, शिव कुमार, जुगल किशोर बेटे बराबर 10 हिस्से में, मसामात पूजा देवी पुत्री, मसामात त्रिप्टा देवी विधवा मुंशी राम बराबर 2 हिस्से धर 4 हिस्से, कृष्ण लाल पुत्र हीरु 4 हिस्से, राम सरूप, रत्न लाल बेटे बराबर 10 हिस्से, मसामात प्रीतिभा देवी, मसामात रेवा देवी पुत्रीया खाकरी देवी बराबर 2 हिस्से धर 1

					हिस्सा धर ¼ हिस्से, ठाकुरु पुत्र गोपी ¼ हिस्सा, करतार चंद, तीर्थ राम, हेम राज, मदन लाल, अशोक कुमार, सत्त पाल बेटे, मसामात राज कुमारी, मसामात प्रकाशो देवी, मसामात शकुंतला देवी, मसामात तोशी देवी पुत्रीया, मसामात गायत्री विधवा बट्टी नाथ में बराबर ब्राह्मण निवासी देह। ओक्यूपंट:- हेम राज, अशोक कुमार, मदन लाल, सत्त पाल बेटे बट्टी सह-हिस्सेदार। 1243 min
Total					0.0131501

[फा. सं. CALA/DC/RSI/2024-25/209-16/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2025

S.O. 2192(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.720(E) Dated:11/02/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening /two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-1C (New NH-144) District of Reasi, Providing Retaining Wall, B/Walls, Minor Bridges, Signages, Crash Barriers & Slope Protection in the selected reaches in the stretch of land from Km 24 to Km 41 in the state of Jammu & Kashmir (UT).

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Excelsior” and “Dainik Savera times” both dated 20.02.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-1C (New NH-144) in the stretch of land from Km. 24 to Km. 41 in the district of Reasi in the state of Jammu & Kashmir (UT).

State: JAMMU & KASHMIR			District: Reasi		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Katra					
Village: Kotli Manotrian					
1	1243 min	Private	Non-Agriculture (BQ)	0.0131501	Owners :-Hem Raj Adopted Son Indru ¼ share, Shiv Kumar, Jugal Kishore sons in equal 10 share, Mst. Pooja Devi Daughter, Mst. Tripta Devi W/o Lt. Munshi Ram in equal 2 Share out of 4 share, Krishan Lal son Heeru 4 share, Ram Saroop, Rattan Lal sons in equal 10 share, Mst. Pritibha Devi, Mst. Reva Devi daughters Khakri Devi in equal 2 share out of 1 share out of ¼ share, Thakru S/o Gopi ¼ share, Kartar Chand, Tirth Ram, Hem Raj, Madan Lal, Ashok Kumar, Sat Pal Sons, Mst Raj Kumari, Mst. Prakasho Devi, Mst. Shakuntla Devi, Mst. Toshi Devi daughters, Mst. Gaiyatri W/o Lt. Badri Nath in equal Brahmin R/O Deh. Occupants:- Hem Raj, Ashok Kumar, Madan Lal, Sat Pal ss/o Badri co-sharer. 1243 min
Total				0.0131501	

[F. No. CALA/DC/RSI/2024-25/209-16/3D]
SHAIKH AMINKHAN, Director